यह निरीक्षण आख्या **कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

**कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार** के अवधि 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री अरिन्दम चटर्जी, स.ले.प.अ., श्री सुनील कुमार सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 28.04.2016 से 09.05.2016 श्री डी.एन. मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित सम्प्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

## भाग–प्रथम

**(अ) परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री खजान सिह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री श्रवण कुमार, स.ले.प.अ. के द्वारा दिनांक 03.05.2014 से 13.05.2014 तक श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी। जिसमें माह – से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान में माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

**1. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिकारियों ने कार्यायाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा :**

1. श्री अनिल कुमार सैनी — 26.05.2014 से 22.06.2015
2. श्री दीपराज अग्निहोत्री — 23.6.2015 से वर्तमान तक

**ब. विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन स्थिति :**

| क्र.सं. | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वर्ष | प्रस्तर संख्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | भाग–2 अ | भाग–2 ब | स्टैन |
| लेखापरीक्षा ज्ञाप सं.–22 द्वारा पूछे जाने पर इकाई द्वारा अनुपालन आख्या शीघ्र ही महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगी बनाया गया है। | | | | |

**4. सतत् अनियमिततायें** – शून्य

**5 . अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित)** – Out of State छात्रवृत्ति सम्बन्धित अभिलेख जो कि लेखापरीक्षा ज्ञाप सं. 11 में मांगा गया था।

6. बजट :

**(धनराशि ` लाख में)**

| वर्ष | आयोजनेत्तर | | आयोजनागत | |
|---|---|---|---|---|
| | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय |
| 2013–14 | 2671.38 | 2671.38 | 11586.05 | 11586.05 |
| 2014–15 | 3483.65 | 3483.65 | 12750.23 | 12750.23 |
| 2015–16 | 1490.19 | 1490.19 | 9554.49 | 9554.49 |

## भाग–दो 'ब'

**प्रस्तर 1 : भारत सरकार के दिशा निर्देशों के विपरीत ` 13154 लाख की धनराशि की छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना।**

भारत सरकार को दशमान्तेर छात्रवृत्ति योजना के प्रस्तर-v(111)के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थानों के मान्यता प्राप्त पाठयक्रमों हेतु फ्री एवं पेड सीट के सापेक्ष (Free and paid seat)प्रवेश प्राप्त छात्रों को राज्य केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क ढांचे के अनुरूप भुगतान की कापी नान रिफन्डेबल(Non refundable) शुल्क की प्रतिपूर्ति छात्रों को,की जायेगी, परन्तु शुल्क की प्रतिपूर्ति के पूर्व राज्य सरकार द्वारा पेड सीट के विरुद्ध नामांकित छात्रों के परिवार की वार्षिक आय का सत्यापन किया जाना अनिवार्य है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार के अभिलेखों की नमुना जांच में पाया गया कि वर्ष 2014–15 में मदरहूड इंसटिटयूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलाजी भगवानपुर, रूडकी नामक संख्या को कुल 317 छात्रों को छात्रवृत्ति का रू 1,31,54,400 का भुगतान किया गया। अभिलेखों की जाचं में पाया गया कि शिषण संस्था को भुगतान किये जाने से पूर्व भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुरूप छात्रों तथा उनके अभिलेखों का सत्यापन नहीं किया गया। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इस सम्बध में भारत सरकार के दिशा र्निदेंशों के अनुसार संस्थान के विभिन्न पाठयक्रमों में पेड सीट के विरुद्व नामांकित छात्रों के परिवारों की आय का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाना था परन्तु जिला समाज कल्याण कार्यालय द्वारा भुगतान के पूर्व उक्त सत्यापन नहीं किया गया। इस प्रकार जिला समाज कल्याण कार्यालय द्वारा पेड सीट छात्रों के परिवार की आय का सत्यापन कराये बिना ही

संस्थान को रू 1,31,54,400 की छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान किया गया। विवरण निम्न प्रकार है।

| क्रम सं | संस्थान का नाम | चैक संख्या/तिथि | छात्रों की संख्या | धनराशि रू में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मदरहुड इंस्टीटयूट आफ मैनेजमेंट एवं टैक्नोलाजी,रूडकी | 479107 30.7.14 | 124 | 51,60,000 |
| 2 | तदैव | 479128 14.8.14 | 193 | 79,94,400 |
| | | कुल योग | 317 | 1,31,54,400 |

लेखा परीक्षा में पूछे जाने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्राप्त आवेदन पत्रों मे सत्यापन हेतू विकास खण्ड क्षेत्र में उपस्थिति सहायक समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है तदोपरान्त भौतिक सत्यापन सम्बन्धित छात्रो का किया जाता है। तदोपरान्त शिक्षण संस्थाओं को धनराशि जारी की गयी है।

इकाई का अन्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार के दशमानेन्तर छात्रवृत्ति योजना के दिशा निर्देशो (अनु, जाति) के प्रसार v(iii) के अनुसार संस्थानों में पेड सीट (paid seat) नामांकित छात्रों के परिवार की आय का सत्यापन छात्रवृत्ति के भुगतान के पूर्व किया जाना अनिवार्य है। संम्बन्धित अभिलेंखों की जांच में उक्त सत्यापन सम्बन्धी कोई रिपोर्ट नहीं पायी गयी।

इस प्रकार इकाई द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन कराये बिना ही छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया।

## भाग–दो 'ब'

**प्रस्तर 2 : शादी–विवाह योजना के अनुपालन में शासनादेश के विपरीत ` 81 लाख का अधिक भुगतान।**

उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं. 5274/26–03–97–4 (188)/93 दिनांक 25.10.1997 तथा शासन पत्र सं : 1030/XVII–1/2011–01 (98) 2011 दिनांक 12.12.2011 के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के निर्धन एवं असहाय परिवार जो ` 15,000/– तक वार्षिक आय सीमावाले अथवा बी.पी.एल. परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु ` 20,000.00 की एक मुश्त आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान था।

उपरोक्त शासनादेश का संशोधन करते हुये दिनांक 25.06.2013 की असहाय परिवार के अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता राशि को बढ़कार ` 50,000.00 किया गया था जो कि तत्काल प्रभाव से लागू होना था।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार के अभिलेखों की जांच में विवाह सम्बन्धित अभिलेखों में देखा गया कि उपरोक्त दिनांक 25 जून 2013 के शासनादेश प्राप्ति से पूर्व विवाह योजना में कुल 162 लाभार्थियों को धनराशि ` 50,000.00 के हिसाब से कुल धनराशि 81 लाख का भुगतान किया गया, जो कि शासनादेश का उल्लघंन दर्शाता है।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर कार्यालय के तरफ से बताया गया कि लाभार्थियों के प्राप्त आवेदन के आधार पर योजना का लाभ ` 50,000.00 के हिसाब से प्रदान किया गया। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि दिनांक 12.12.2011 के शासनादेश के अनुसार कार्यालय को ` 20,000.00 की राशि प्रदान करना चाहिए था।

अतः प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग–दो 'ब'

**प्रस्तर 3 : छात्रवृत्ति के अन्तर्गत अनुरक्षण भत्ते में ` 30.85 लाख की अधिक धनराशि का अनियमित भुगतान।**

भारत सरकार के दशमोत्तर छात्रवृत्ति येाजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार छात्रवृत्ति के अन्तर्गत अनुरक्षण भत्ता, छात्रों द्वारा देय अनिवार्य नॉन–रिफेण्डेबल शुल्क शिक्षण शुलक तथा छात्रों के अन्य विविध व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है। भारत सरकार द्वारा अनुरक्षण भत्ते की दरे विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु डे–स्कॉलर एवं हास्टलर हेतु अलग–अलग निर्धारित की गयी है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि विभिन्न शिक्षण संस्थाओं/लाभार्थियों को छात्रवृत्ति के अन्तर्गत अनुरक्षण भत्ते का अधिक दर पर भुगतान किया गया है। लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि कुल 06 शिक्षण संस्थाओं के 1692 छात्रों को ` 30,85,400 का अधिक भुगतान किया गया, (विवरण संलग्नक में )।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि संस्थानों को किये गये शिक्षण शुलक का भुगतान शासन के शासनादेश (सितम्बर 2010) के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि छात्रवृत्ति के अन्तर्गत अनुरक्षण भत्ते का भुगतान भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार इकाई द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दर पर भुगतान के परिणामस्वरूप अनुरक्षण भत्ते के ` 30.85 लाख की धनराशि का अधिक भुगतान किया गया।

**संलग्नक–1**

| क्र. सं. | संस्थान का नाम | पाठ्यक्रम | देय अनुरक्षण भत्ता/शिक्षण शुल्क | भुगतान की गई राशि | अन्तर | छात्रों की संख्या | कुल अधिक भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ओमवायो साइंस एवं | 3 वर्षीय पॉलीटेक्निक डिप्लोमा | 2300 | 3300 | 1000 | 73 | 73,000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | फार्मा कॉलेज, रूड़की | | | | | | |
| 2 | रामानन्द ईस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, हरिद्वार | –तदैव– | 2300 | 5500 | 3200 | 238 | 7,61,600 |
| 3 | इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, रूड़की | –तदैव– | 2300 | 3300 | 1000 | 115 | 1,15,000 |
| 4 | मदरहुड ईस्टीटय्ट, रूड़की | –तदैव– | 2300 | 3300 | 1000 | 249 | 249,000 |
| 5 | फोनिक्स ग्रुप ऑफ ईस्टीट्यूशन्स, रूड़की | –तदैव– | | | | | |
| | | (अ) 3 वर्षीय पॉलीटेक्निक | 2300 | 5300 | 3000 | 186 | 5,58,000 |
| | | (ब) वी.वी.ए.वी.सी.ए.वी.एस.सी. | 3000 | 3500 | 5000 | 240 | 1,20,000 |
| | | (स) वी.वी.ए.वी.सी.ए. | 3000 | 5500 | 2500 | 48 | 1,20,000 |
| | | (द) बी.टेक | 5300 | 5500 | 2000 | 344 | 68,800 |
| 6 | स्वामी दर्शनानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, हरिद्वार | (अ) 3 वर्षीय पॉलीटेक्निक<br>(ब) एम.वी.ए. | 2300<br>55000 | 5300<br>67,000 | 3000<br>12,000 | 152<br>47 | 4,56,000<br>5,65,000 |
| | | | **कुल योग** | | | **16942** | **30,85,400** |

## भाग–दो 'ब'

**प्रस्तर 4 : PGDM (पी.जी.डी.एम.) कोर्स के लिए शिक्षण शुल्क ` 1.60 करोड़ का अनियमित–भुगतान किया जाना।**

GOI guidelines stipulates, that compulsory non refundable fee charged by Institutions for recognized courses can be reimbursed as per fee structure approved by the competent State Govt. authority, the State Govt. instruction (August 2014) to all the DSWOs of the department not to reimburse tuition fee of PGDM ensures until the fee structure of said ensure is decided by the competent State Govt. authority. However, State Govt. abtrunced (August 2014) the tuition fee of PGDM cover of phonics group of institutions, Roorkee Haridwar @ 45800.

छात्रवृत्ति सम्बन्धित लेखा अभिलेखों की जांच में पाया कि शिक्षण संस्था, फोनिक्स ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूटशन रूड़की, हरिद्वार को 165 छात्रों (अनुसूचित जाति) को पी.जी.डी.एम. कोर्स हेतु ` 97100 प्रति छात्र (91600/– शिक्षण मूल + 5500 (छात्रवृत्ति)) की दर कुल ` 1,60,21500/– का भुगतान माह जुलाई 2014 में किया गया था जबकि जुलाई 2014 में पी.जी.डी.एम. कोर्स हेतु कोई शिक्षण शुल्क राज्य सरकार की सक्षम प्राधिकारी/कमेटी द्वारा निर्धारित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा आगे पाया कि जैसे ही शासन द्वारा अवगत 2014 में पी.जी.डी.एम. कोर्स हेतु शिक्षण शुल्क 45800/– निर्धारित किया गया था, का संज्ञान में आते ही DSWO, Haridwar द्वारा शिक्षण संस्था फोनिक्स ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन, रूड़की की माह जुलाई 2014 में भुगतानित कुल ` 1,60,21,500/– में से (` 1,60,21,500–75,57,000) ` 84,64,500/– अधिक भुगतानित धनराशि वापसी हेतु पत्र प्रेषित किया गया था जिसे फोनिक्स ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन, रूड़की द्वारा DSWO हरिद्वार को चैक संख्या 743822 दिनांक 01.09.2014 द्वारा कुल ` 1,60,21,500/– धनराशि वापिस की गयी लेकिन DSWO, Haridwar हरिद्वार द्वारा वापसी प्राप्त कुल धनराशि ` 1,60,21,500/– फोनिक्स ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन, सूची को चैक संख्या–478548 दिनांक 04.09.2014 द्वारा पुनः भुगतान किया गया गया। इस प्रकार, जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार (DSWO Hardiwar) द्वारा फोनिक्स ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन रूड़की को शासन द्वारा बिना निर्धारित शिक्षण शुल्क पी.जी.डी.एम. कोर्स हेतु माह जुलाई में 97100 की दर से भुगतान किये जाने से लेकर शिक्षण शुल्क वापसी प्राप्त कर, पुनः ` 16021500/– शिक्षण संस्था को भुगतान किया गया, परिणामस्वरूप

शासन द्वारा पी.जी.डी.एम. कोर्स हेतु शिक्षण शुलक, बिना निर्धारित माह जुलाई 2014 में किया गया ` 16021500/– का भुगतान अनियमित था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर DSWO, Haridwar द्वारा बताया गया कि पी. जी.डी.एम. कोर्स हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क @ 91600/–की दर से शासनादेश (09/2014) के निर्देशानुसार भुगतान किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त शिक्षण संस्था को, माह जुलाई 2014 में 165 छात्रो को पी.जी.डी.एम. कोर्स के लिए शिक्षण शुल्क @ 91600 की दर छात्रवृत्ति @ 5500 सहित ` 97100/– की दर से कुल ` 16021500/–का भुगतान पी.जी.डी.एम. कोर्स हेतु बिना शासन की स्वीकृति के प्रदान किया गया था।

इस प्रकार, पी.जी.डी.एम. कोर्स के लिए शिक्षण शुल्क ` 1.60 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया।

## भाग–दो 'ब'

**प्रस्तर 5 : मार्गदर्शिका के विपरीत परीक्षा शुल्क ` 52.58 लाख का अमान्य भुगतान किया जाना।**

छात्रवृत्ति संबंधी मार्गदर्शिका के अनुसार, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पात्रता की श्रेणी में आने वाले छात्रों/छात्राओं को, टयूशनफीस , नामांकन शुल्क, पंजीकरण शुल्क, क्रीड़ा शुल्क, यूनियन फीस, पुस्तकालय मैंगजीनफीस व अन्य non-refundable शुल्क को भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति किये जाने का प्रावधान था जबकि Conception deposit जैसे non-refundable शुल्क को भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं किये जाने का प्रावधान था।

छात्रवृत्ति संबंधित लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि फोनिक्स ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूट, रूड़की को वर्ष 2013–14 में 1019 छात्रों के सापेक्ष Exam fees के मद में कुल ` 52,58,190/– की धनराशि शिक्षण संस्था के बैंक खाता में, दिशा–निर्देशिका के विपरीत (Exam fees) परीक्षा शुल्क के मद में अलग से अमान्य (In admissible) भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि परीक्षा शुल्क का भुगतान, शासनादेश (10/2013) के अनुसार, शिक्षण संस्था को किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त शासनादेश में परीक्षा शुल्क (Exam fee) का अलग से भुगतान किये जाने का प्रावधान नहीं था।

इस प्रकार, छात्रवृत्ति मार्गदर्शिका, के विपरीत परीक्षा शुल्क ` 52.58 लाख का अमान्य भुगतान किये जाने का प्रकरण (Inadmissible)उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग–दो 'अ'

**प्रस्तर 6 : शासनादेश के विपरीत, शिक्षण शुल्क का अतिरिक्त ` 84.36 लाख का भुगतान किया जाना।**

छात्रवृत्ति योजना के मार्गदर्शिका क अनुसार समय–विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के भिन्न–भिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क का निर्धारण, राज्य सरकार के फीस स्ट्रक्चर कमेटी द्वारा निर्धारित की जाती है।

सम्बन्धित लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि शिक्षण संस्था, फोनिक्स स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एवं बीजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, रूड़की के बी.टेक पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण शुल्क ` 50,000/– उत्तराखण्ड शासन के शुल्क ढांचा समिति द्वारा राज्य सरकार के निजी स्वामित्व पोषित तकनीकी संस्थाओं में संबंधित तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क निर्धारित किया गया था (सितम्बर 2010), इसके अलावा, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप (जुलाई 10) के अनुसार ''शुल्क ढांचा समिति'' की बैठक में यह भी निर्धारित किया गया था कि जून 2010, से निजी तकनीकी संस्थाओं में छठे वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार वेतनमान प्रदान किया जाता है तो उन सभी तकनीकी पाठ्यक्रमों (एम.वी.ए., एम.सी.ए., बी.टेक., बी.एच.एम.सी.टी.पी.आई., बी.फार्मा, एम. फार्मा, एम.टेक.) हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क में ` 12000/– की वार्षिक वृद्धि कर दी जाएगी, बशर्ते कि शुल्क वृद्धि से पूर्व संस्थाओं द्वारा छठे वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले की सूची एवं (जून 2010) से प्रदान किये गये वेतन की पे–स्लिप, बैंक स्टेटमेंट की साथ, चार्टर्ड एकाउटेंट एवं संस्था के निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करने के पश्चात्, उत्तराखण्ड शासन एंव तकनीकी विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

छात्रवृत्ति संबंधी अभिलेखों की जांच में पाया कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार द्वारा शिक्षण संस्था फोनिक्स ग्रुप ऑफ एजुकेशन, रूड़की को छात्रों को शिक्षण शुल्क (Tution Fees) के मद में (144) एम.बी.ए. के छात्रों को 55000/– से बढ़ाकर 6700 की से भुगतान किया गया था तथा बी.टेक के छात्रों (550 को ` 50,000/– से बढ़ाकर ` 12000/– सहित कुल ` 62,000/– की दर से भुगतान किया गया जबकि संस्था में छठा वेतनमान लागू नहीं किया गया

था ना ही पे–स्लिप, बैंक स्टेटेमेंट के साथ, चार्टड एकाउटेंट एवं संस्था के निदेशक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित प्रति उत्तराखण्ड शासन एवं तकनीकी विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया गया था फिर भी DSWO, हरिद्वार द्वारा फोनिक्स ग्रुप, रूड़की को अनियिमत रूप से अतिरिक्त भुगतान ` 84.36 लाख किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है–

**(शिक्षण संस्था, फोनिक्स ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूट, रूड़की)**

| क्र.सं. | वर्ष | कोर्स का नाम | छात्रों की संख्या | भुगतान धनराशि | | देय धनराशि | | अतिरिक्त भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | टयूशनफीस | स्कालरशिप | ट्यूशनफीस | स्कॉलरशिप | |
| 1 | 2013–14 | ए.बी.ए. | 144 | 67000 | 5500 | 55000 | 5500 | 17.28 लाख |
| | | | | | | (144X12000) | | |
| 2 | 2013–14 | बी.टेक | 559 | 62000 | 5500 | 50000 | 5500 | 67.08 लाख |
| | | | | | | (559X12000) | | |
| | | | | | | **कुल योग** | | **84.36 लाख** |

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि इस कार्यालय द्वारा शिक्षण संस्था को बढ़े हुए छठे वेतनमान लागू होने की स्वीकृति, उत्तराखण्ड शासन। तकनीकी विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग को उपलब्ध करने हेतु निदेशित किया गया है तथा इस संबंध में अभिलेख शिक्षा संस्था से प्राप्त कर सम्प्रेक्षा को उपलब्ध करा दिया जायेगा। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शिक्षण संस्था द्वारा लागू किये गये छठे वेतनमान का कोई भी साक्ष्य, पे–स्लिप, बैंक स्टेटमेंट को चाटेड एकाउन्टेट एवं शिक्षण संस्था के निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित छायप्रति शासन तथा तकनीकी विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया था फिर भी जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा बिना सुनिश्चित किये छठे वेतनमान लागू मानकर कुल 703 छात्रों को ` 12,000/– बढ़ाकर अनियमित रूप से अतिरिक्त (703X12000/-) ` 84.36 लाख का भुगतान किया गया।

इस प्रकार शासनादेश के विपरीत शिक्षण शुल्क का अतिरिक्त ` 84.36 लाख भुगतान किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग–दो 'ब'

**प्रस्तर 7 : ` 42.77 करोड़ की धनराशि बैंक खाते में अवरूद्ध होकर रह जाना।**

वित्तीय हस्पुस्तिका खण्ड–V, नियम 162 के अनुसार कोषागार से धनराशि सभी आहरित की जायेगी जब उसकी तुरन्त व्यय करने हेतु आवश्यकता हो।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार के अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि विभाग द्वारा संचालित बैंक खातो की संख्या 19 है एवं जिसमें दिनांक 31 मार्च 2016 तक अवशेष कुल धनराशि ` 42,77,28,577.00 पायी गयी। उक्त धनराशि भिन्न–भिन्न योजनाओं हेतु कोषागार से आहरित की गयी तथा योजनाओं में प्रदान की गई तथा इसमें धनराशि की वापसी भी सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा में कार्यालय द्वारा इतने अधिक संख्या में बैंक खाता खोजे जाने का कारण तथा बैंक में ` 42,77 करोड़ की धनराशि अवरूद्ध रखने का कारण पूछे जाने पर बताया गया कि इस संबंध में अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी। कार्यालय को उक्त धनराशि राजकोष में समर्पण क्यों नहीं किया? पूछे जाने पर जवाब में बताया गया कि विभिन्न योजनाओं में देनदारी होने के कारण समर्पण नहीं किया गया।

उपरोक्त जवाब जो कि कार्यालय के तरफ से दिया गया वित्तीय नियमों के विरूद्ध पाया गया एवं बैंक खाते में धनराशि ` 42.77 करोड़ की अवरूद्ध हो कर रह जाने के प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग दो 'ब'

**प्रस्तर 8 : छात्रवृत्ति की धनराशि अपात्र लाभार्थियों को ` 2.62 लाख प्रदान किया जाना।**

मार्गदर्शिका के अनुसार, जिन लाभार्थियों की वार्षिक आय क्रमशः ` 2.50 लाख (अनुसूचित जाति) एवं ` 1.00 लाख (पिछड़ी जाति) हो उन सभी लाभार्थियों को छात्रवृत्ति की धनराशि वितरित किये जाने का प्रावधान था।

फोनिक्स ग्रुप ऑफ इन्सटीट्यूशन, रूड़की के लेखा अभिलेखों की जांच में पाया कि वर्ष 2013–14 में छात्रवृत्ति योजना की मार्गदर्शिका के विपरीत पिछड़ी जाति के लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया गया जिसकी वार्षिक आय एक लाख से अधिक थी, जिसका विवरण निम्नवत् है–

| क्र.सं. | छात्र का नाम | पिता का नाम | ब्रांच | कैटेगरी | भुगतानित छात्रवृत्ति की धनराशि | चेक नम्बर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अमित कुमार | श्री इशम सिंह | बी.टेक | ओ.बी.सी. | 65500/– | 432174 |
| 2 | दाउद रहमान | श्री गुलाम शबीर | बी.टेक | ओ.बी.सी. | 65500/– | 289943 |
| 3 | शाबिद | श्री खलील अहमद | बी.टेक | ओ.बी.सी. | 65500/– | 244104 |
| 4 | रादेलाही | श्री नफीस अहमद | बी.टेक | ओ.बी.सी. | 65500/– | 244119 |
| | | | | **कुल योग** | **2,62,00/–** | |

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि भौतिक सत्यापन में भुलवश उक्त छात्रों का आंकलन गलत होने के कारण छात्रवृत्ति धनराशि ` 2.62 लाख का भुगतान किया गया। इस संबंध में अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि छात्रचृत्ति

की धनराशि वितरण के समय, उक्त छात्रों की वार्षिक आय का अवलोकन सत्यापन अधिकारी द्वारा देय नहीं बताना चाहिए था।

इस प्रकार छात्रवृत्ति योजना के मार्गदर्शिका के विपरीत छात्रवृत्ति की धनराशि ` 2.62 लाख अपात्र लाभार्थियों को प्रदान किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग–दो 'ब'

**प्रस्तर 9 : पाठ्यक्रम की मान्यता के बिना ` 21.63 लाख की छात्रवृत्ति का भुगतान।**

भारत सरकार की दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (अनु. जाति) के प्रस्तर–V, के अनुसार, मान्यता प्राप्त संस्थानों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों हेतु पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा। बशर्ते सम्बन्धित संस्थान के पाठ्यक्रम हेतु शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2014–15 में अमृत कॉलेज ऑफ एजुकेशन, धनौरी, रूड़की को वी.एस.सी. के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनत 43 छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में ` 21,62,900 का भुगतान किया गया परन्तु अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उक्त अवधि हेमतु संस्थान को सम्बन्धित पाठ्यक्रमों हेतु मान्यता प्राप्त नहीं थी।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि उक्त पाठ्यक्रम संस्थान में 2012–13 से संचालित हैं तथा सम्बन्धित पाठ्यक्रमों की मान्यता संस्थान को प्राप्त है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संस्थान को वी.एस.सी. के पाठ्यक्रमों के संचालन की मान्यता सक्षम प्राधिकारी द्वारा (कुलाधिपति के सचिव) दिसम्बर 2015 में प्रदान की गयी (2015–16)। इस प्रकार बिना पाठ्यक्रम की मान्यता के ` 21.63 लाख की छात्रवृत्ति की धनराशि के भुगतान का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

## भाग–तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निराकरण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से **जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**
**सामाजिक क्षेत्र**